



सहकारिता विभाग, उत्तराखण्ड

निबंधक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

धारा (4)(ख) के स्व: प्रकटीकरण के प्रावधान के अन्तर्गत तैयार मैनुअल

मैनुअल-16

{धारा 4(1)(ख)(XVI)}

लोक सूचना अधिकारियों का नाम पदनाम अन्य विशिष्टियां

31 मार्च 2026 तक अद्यावधिक

➤ लोक सूचना अधिकारी—

श्री पवन पंवार,
अपर जिला सहकारी अधिकारी,
कार्यालय: निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड,
पता: सहकारिता परिसर, मियांवाला—तुनवाला रोड,
निकट—मियांवाला रेलवे फाटक, देहरादून(उत्तराखण्ड)
मोबाइल नंबर— 8892446666
ई—मेल: rcsuttarakhand@gmail.com

➤ प्रथम अपीलीय अधिकारी—

सुश्री रमिन्द्री मन्द्रवाल,
संयुक्त निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड,
कार्यालय: निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड,
पता: सहकारिता परिसर, मियांवाला—तुनवाला रोड,
निकट—मियांवाला रेलवे फाटक, देहरादून(उत्तराखण्ड)
मोबाइल नंबर— 9412055822
ई—मेल: rcsuttarakhand@gmail.com

उत्तरांचल शासन
सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग-1
 संख्या 512 / XIV-1/2005
 देहरादून दिनांक 5 अगस्त 2005

अधिसूचना

“सूचना का अधिकार अधिनियम”, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या-22) की धारा-5 एवं 19 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल “सहकारिता विभाग उत्तरांचल” के अधीनस्थ विभागों/संस्थाओं/समितियों हेतु निम्नवत् घोषित लोक प्राधिकारी ईकाइयों के सम्मुख अंकित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारियों को “सूचना का अधिकार अधिनियम”, 2005 में निर्दिष्ट कार्यों हेतु लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी के रूप में अधिसूचित/नामित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	लोक प्राधिकारी ईकाई	लोकसूचना अधिकारी	अपीलेंट अधिकारी
1	निबन्धक, कार्यालय (मुख्यालय) अल्मोड़ा	उप निबन्धक मुख्यालय	अपर निबन्धक मुख्यालय
2	जिला सहायक निबन्धक कार्यालय (जनपद स्तरीय कार्यालय)	जिला सहायक निबन्धक (सम्बन्धित जिले का)	उपनिबन्धक सहकारी समितियां उत्तरांचल
शीर्ष सहकारी संस्थायें			
3	उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि०, हल्द्वानी	उप प्रबन्धक, उ.रा.सह.बैंक लि. हल्द्वानी	प्रबन्ध निदेशक, उ.रा. सह. बैंक लि. हल्द्वानी
4	उत्तरांचल राज्य सहकारी विपणन संघ लि०, देहरादून	प्रबन्ध निदेशक, यू.सी.एम.एफ. देहरादून	निबन्धक, सहकारी समितियां
केन्द्रीय सहकारी संस्थायें			
5	जिला सहकारी बैंक लि० (जनपद स्तरीय) (10)	सचिव/महाप्रबन्धक सहकारी बैंक लि०	सहायक निबन्धक सह० समितियां (सम्बन्धित जिले का)
6	जिला केन्द्रीय उपभोक्ता सह. भण्डार लि० (जिला/विकास खण्ड स्तरीय) (06)	सचिव/प्रबन्ध निदेशक, जि.के. उप. सह. भण्डार लि.	सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तरांचल (सम्बन्धित जिले का)
7	जिला सहकारी संघ (जिला स्तरीय) (10)	सचिव/प्रबन्ध निदेशक, जिला सहकारी संघ लि.	सहायक निबन्धक सहकारी समितियां उत्तरांचल (सम्बन्धित जिले का)
8	जिला भेषज सहकारी संघ लि.	सचिव/प्रबन्ध निदेशक जिला	सहायक निबन्धक

Scanned by CamScanner

	(जिला स्तरीय) (12)	भेषज सहकारी संघ	सहकारी समितियां उत्तरांचल (सम्बन्धित जिले का)
9.	प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (समस्त प्रकार की विकास खण्ड स्तरीय न्याय पंचायत स्तरीय एवं अन्य)	सम्बन्धित संस्था का सचिव / प्रबन्ध निदेशक,	सहायक विकास अधिकारी (सम्बन्धित विकास खण्ड का)

2. प्रतिबन्ध यह है कि यदि लोक सूचना अधिकारी या अपीलें अधिकारी के रूप में नामित कोई अधिकारी अवकाश पर हो या वह पद रिक्त हो तो उसके समकक्ष अधिकारी को अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलें अधिकारी माना जायेगा।

3. नामित लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलें अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उल्लिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के लिए पूर्णरूप से जिम्मेदार होंगे एवं उन्हें इस हेतु कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता देय नहीं होगा।

(नवीन चन्द शर्मा)
सचिव

संख्या 5/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तरांचल.
2. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री गण उत्तरांचल सरकार.
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन.
4. सचिव सूचना उत्तरांचल शासन
5. निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल.
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल.
7. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन.
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव उत्तरांचल शासन.
9. अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल.
10. सम्बन्धित समस्त प्राधिकारी ईकाइयों / लोक सूचना अधिकारी / अपीलें अधिकारी द्वारा अपर निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तरांचल.

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
सहकारिता विभाग
संख्या 452/XIV-1/2009
देहरादून, दिनांक 21 मई 2009

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 एवं 19 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन शासनादेश संख्या 512/XIV-1/2005 दिनांक 05.08.2005 द्वारा सहकारिता विभाग के अन्तर्गत विभिन्न लोक प्राधिकारी इकाईयों में लोक सूचना अधिकारियों एवं अपीलेंट अधिकारियों को नामित किया गया था।

इस संदर्भ में उत्तराखण्ड सूचना आयोग को प्राप्त शिकायत संख्या 2039/सी-18 (2) 644/2009 श्री राजीव कुमार चनाम अध्यक्ष, जीवन बीमा वेतन भोगी सहकारी समिति लि०, न्यू कनाट प्लेस, देहरादून तथा अन्य में आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2009 के क्रम में उक्त अधिसूचना दिनांक 05.08.2005 को संशोधित करते हुए श्री राज्यपाल अधिसूचना के क्रमांक- 10 पर प्रारम्भिक सहकारी समितियों में निम्नवत् लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेंट अधिकारी अधिसूचित/नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

लोक प्राधिकारी इकाई	लोक सूचना अधिकारी	अपीलेंट अधिकारी
प्रारम्भिक सहकारी समितियां	सचिव/प्रबंध निदेशक	सहायक विकास अधिकारी (सह0) (सम्बन्धित विकासखण्ड)

उक्त अधिसूचना को इस संज्ञा तक संशोधित समझा जाय।

Anshu Kaul
(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या 452/XIV-1/2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।